2015 का विधेयक संख्यांक 266

[दि इंडस्ट्रीज (डेवेलपमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 है ।

1951 का 65

नई धारा 29ङ का अंत:स्थापन ।

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 29घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

विधिमान्यकरण ।

"29ङ. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की गई कोई शक्ति अथवा की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार विधिमान्य रूप से प्रयोग की गई है अथवा की गई है अथवा

उसके किए जाने का लोप किया गया है मानो उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा पहली अनुसूची में किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त था और इस प्रकार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या दावा या अन्य कार्यवाहियां संस्थित, कायम या जारी नहीं रखी जाएंगी ।"। 5

पहली अनुसूची का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, पहली अनुसूची में, "26. किण्वन उद्योग" शीर्षक के स्थान पर, "26. किण्वन उद्योग (पेय एल्कोहल से भिन्न)" शीर्षक रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 कतिपय उद्योगों के विकास और विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम की धारा 2 में यह घोषित किया गया है कि लोक हित में यह समीचीन है कि अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों को संघ अपने नियंत्रण के अधीन ले ले । इस प्रकार अधिनियम की पहली अनुसूची के प्रत्येक शीर्ष अथवा उपशीर्ष के अधीन वर्णित वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई भी उद्योग संघ के नियंत्रणाधीन होगा । अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 26 में किण्वन उद्योगों का, जिनके अन्तर्गत एल्कोहाल और किण्वन उद्योगों के अन्य उत्पाद भी हैं, उपबंध है ।

2. संविधान की सातवीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट विधायी शक्तियों के वितरण के अनुसार सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में "मादक लिकर, अर्थात् मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय" विषय-वस्तु को प्रगणित किया गया है और उसकी प्रविष्टि 24 में "सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उद्योग" विषय-वस्तु को प्रगणित किया गया है । यद्यपि, सूची 1 - संघ सूची की प्रविष्टि 7 में "संसद् द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग" का उपबंध है, तथापि, उसकी प्रविष्टि 52 में "वे उद्योग, जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है" विषय-वस्तु का उपबंध है । इस प्रकार, 'मादक लिकर' विषय-वस्तु को विनियमित करने का प्राधिकार संघ और राज्यों, दोनों, में निहित प्रतीत होता है । लम्बे समय तक खिंची मुकदमेबाजी इसी का परिणाम है ।

3. भारत के उच्चतम न्यायालय ने बिहार डिस्टलरी और एक अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य (ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1208) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि संघ और राज्यों के क्षेत्रों के उचित अंकन के हित में, सीमांकन की रेखा परिशोधित स्पिरिट की निकासी या उसके हटाए जाने के प्रक्रम पर खींची जानी चाहिए । जहां उसका हटाया जाना या निकासी (पेय लिकर के विनिर्माण से भिन्न) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए है, वहां उत्पाद-शुल्कों का उदग्रहण और अन्य सभी नियंत्रण संघ के पास होगा और जहां उसका हटाया जाना या निकासी पेय लिकर की अभिप्राप्त करने या उसका विनिर्माण करने के लिए है, वहां उत्पाद-शुल्कों का उदग्रहण और अन्य सभी नियंत्रण राज्यों के पास होगा ।

4. उच्चतम न्यायाल के उपरोक्त निर्णय की पृष्ठभूमि में, भारत के विधि आयोग ने अपनी 158वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 26 को "किण्वन उद्योग, किन्तु इसके अन्तर्गत एल्कोहाल नहीं है" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए ।

5. भारत के विधि आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा गहराई से समीक्षा की गई । यदि 'एल्कोहाल' विषय को अधिनियम की पहली अनुसूची से बाहर रखा जाता है तो औद्योगिक एल्कोहाल और पेय एल्कोहाल, दोनों, राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आ जाएंगे जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है ।

उसके अलावा, विधि आयोग की सिफारिश के कार्यानवयन का प्रभाव यह होगा कि "एल्कोहाल" विषय, जिसमें औद्योगिक एल्कोहाल और पेय एल्कोहाल, दोनों, आते हैं, केन्द्र का विषय नहीं रहेगा ।

6. अतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची के शीर्ष 26 के स्थान पर "किण्वन उद्योग (पेय एल्कोहाल से भिन्न)" शीर्ष प्रतिस्थापित करके पहली अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हो सके और उससे यह भी सुनिश्चित हो सके कि पेय प्रयोजनों के लिए आशयित एल्कोहाल के विनिर्माण में लगे उद्योग सभी प्रकार से पूर्णतः और अनन्य रूप से राज्यों के अधीन होंगे । केन्द्रीय सरकार किण्वन उद्योग के सभी उत्पादों, जिनके अन्तर्गत औद्योगिक एल्कोहाल और पेय एल्कोहाल भी है, के लिए नीति बनाने तथा विदेशी सहयोग (विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान और विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग करार) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी बनी रहेगी ।

7. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 नवम्बर, 2015

निर्मला सीतारमन

उपाबंध

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
(1951 का अधिनियम संख्यांक 65)
से उद्धरण

* * * * *

पहली अनुसूची

[धारा 2 और धारा 3(1) देखिए]

कोई उद्योग, जो निम्नलिखित शीर्षकों या उपशीर्षकों में से प्रत्येक के अधीन वर्णित वस्तुओं में से किसी के विनिर्माण या उत्पादन में लगा है, अर्थात् :--

* * * * *

26. किण्वन उद्योग :--

(1) एल्कोहल ;

(2) किण्वन उद्योगों के अन्य उत्पाद ।

* * * * *

GMGIPMRND—3145LS(CRC)—02-12-2015.